150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकः F25 (50)ICDS/Computer/RajPoshan/2015/7795-8132 जयपुर, दिनांक : 11-01-2019

जिला उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त ....

बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएँ
समस्त ....

विषयः– राजपोषण एप्लीकेशन (New Verson) के संबंध में।
प्रसंगः– निदेशालय के पत्रांक 196455–791 दिनांक 13.11.2018 के क्रम में।

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषयांकित पत्र द्वारा राजपोषण एप्लीकेशन को दिनांक 17.11.2018 से नवीन वर्जन लागू किये जाने के कारण बन्द किया गया था । राजपोषण एप्लीकेशन दिनांक 12 जनवरी, 2019 से लागू किया जा रहा है। आप सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राजपोषण एप्लीकेशन पर मानदेय कार्मिकों के डाटा का सत्यापन करने के उपरान्त ही मानदेय बिल कोषालय से पारित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

नवीन राजपोषण एप्लीकेशन (New Verson) का संचालन SSO ID के माध्यम से ही किया जा सकेगा। आपके जिला उपनिदेशक कार्यालय या जिला परियोजना कार्यालय द्वारा जो एसएसओ आईडी भेजी गई है, उन समस्त उपनिदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारियों के SSO ID राजपोषण एप्लीकेशन में मैप कर दिये गये है।

राजपोषण एप्लीकेशन का संचालन निम्न प्रकार से किया जा सकता है :–

1. **पूर्व की तरह विभागीय वेबसाईट पर दिये गये राजपोषण लिंक पर क्लिक करें । अथवा sso.rajasthan.gov.in पर Login करना है।**
2. **Login करने के लिए आपको अपना एसएसओ आईडी एवं पासवर्ड डालना है।**
3. **राजपोषण आईकॉन पर क्लिक करना है ।**
4. **परियोजना का नाम Select करके Login करना है।**
5. **नवीन राजपोषण एप्लीकेशन में यदि किसी अधिकारी के पास एक से अधिक परियोजनाओं का चार्ज है तो उस स्थिति में भी एक ही SSO ID से ही कार्य किया जाना है। केवल राजपोषण एप्लीकेशन में आपको परियोजना कार्यालय का नाम Select करके Login करना है।**
6. **इसके पश्चात एप्लीकेशन पर पूर्व की तरह कार्य किया जा सकेगा।**
7. **सर्व प्रथम आपको Master Data menu मे Employee Detail Menu मे Hon Emp. Detail Verification में जाकर Verification से शेष रहे मानदेय कर्मियों का Verification करना है।**
8. **जिन मानदेय कर्मियों की मानदेय सेवा समाप्ति (60 वर्ष) हो चुकी है, उनकी सूचना राजपोषण एप्लीकेशन से हटाये जाने हेतु rajposhan@nic.in पर मेल द्वारा अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।**

उक्त के संबंध में किसी प्रकार के तकनीकी सहयोग के लिए निम्न दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सकता है :–

1. कम्प्यूटर प्रशाखा, निदेशालय, दूरभाष नम्बर 0141–2713622
2. श्री मनोज कुमार माहेश्वरी, एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) 9829326550
3. श्री सत्यम् कुमारम् द्विवेदी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी 9785003489

जिन जिलों कि परियोजनाओं में परिसीमन का कार्य राजपोषण सॉफ्टवेयर पर अधतन किया जाना है, उनको निर्देशित किया जाता है कि वे माह नवम्बर–2018 तक के मानदेय का भुगतान करवाया जाना सुनिश्चित करें। मानदेय का भुगतान करवाये जाने के पश्चात बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा मानदेय कर्मियों का दिसम्बर, 2018 से पूर्व किसी भी माह का भुगतान बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित उपनिदेशक कार्यालय को प्रेषित करें ।

उपनिदेशक कार्यालय द्वारा भुगतान बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र जिलेवार ईकजाइ सुचना निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, इसके पश्चात ही परियोजनावार आंगनबाडी केन्द्रों के परिसीमन कि कार्यवाही कि जा सकेगी।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: F25 (50)ICDS/Computer/RajPoshan/2015/8133-39 जयपुर, दिनांक : 11/01/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राज. जयपुर।
2. राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी, एसआईओ भवन, सचिवालय, जयपुर ।
3. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, वित्त भवन, जयपुर ।
4. अति. निदेशक, (आई), समेकित बाल विकास सेवाएँ, राज. जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राज. जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक (मॉ.) समेकित बाल विकास सेवाएँ, राज. जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।